


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032022-234312
CG-DL-E-21032022-234312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]
No. 210]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

गृह मंत्रालय
(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

सा.का.नि. 213(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक वे निम्नलिखित पदों से संबंधित हैं निदेशक और वैज्ञानिक 'ई', उप निदेशक और वैज्ञानिक 'डी', सहायक निदेशक और वैज्ञानिक 'सी' और वैज्ञानिक 'बी', जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इसकी बाहरी इकाइयों में निदेशक और वैज्ञानिक 'ई', उप निदेशक और वैज्ञानिक 'डी', सहायक निदेशक और वैज्ञानिक 'सी' और वैज्ञानिक 'बी' पदों से संबंधित समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना – ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. परिभाषा - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "नियंत्रण प्राधिकरण" से गृह मंत्रालय में भारत सरकार अभिप्रेत है;

- (ख) "आयोग" से संध लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (ग) "विभाग" से न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय अभिप्रेत है;
- (घ) "पद" से पहली अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है;
- (ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और भर्ती की पद्धति - (1) वैज्ञानिक 'बी' के पद पर सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट होगी।

(2) (i) वैज्ञानिक 'बी' के पद के लिए भर्ती इन नियमों के चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट तरीके से होगी।

(ii) विभिन्न प्रभागों में वैज्ञानिक 'बी' के पद पर प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत चौथी अनुसूची के भाग 'क' के अनुसार होगा और जिस ग्रेड से वैज्ञानिक 'बी' के पद पर प्रोन्नति की जानी है वे चौथी अनुसूची के भाग 'ख' के अनुसार होंगे।

(iii) वैज्ञानिकों के 'सी', 'डी' और 'ई' के पदों के लिए भर्ती को तीसरी अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट मौजूदा ग्रेड में न्यूनतम अर्हक अवधि के पूरा होने पर संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के तहत स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा शतप्रतिशत किया जायेगा।

(3) वैज्ञानिक 'बी' के पद पर प्रोन्नति या सीधी भर्ती के लिए आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक होगा।

6. परिवीक्षा :- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो वैज्ञानिक 'बी' के पद पर प्रोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाता है, दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

(2) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को, परिवीक्षा अवधि को पूरा करने के लिए अनुमोदक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की आवश्यकता होगी।

7. संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के माध्यम से प्रोन्नति - (1) विभाग में स्वस्थानेपदोन्नति के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचित संशोधित नमनीय पूरक स्कीम वैज्ञानिक 'सी', 'डी' और 'ई' के ग्रेड में लागू होगी, जो संबंधित वैज्ञानिक के लिए वैयक्तिक होगा।

(2) संशोधित नमनीय पूरक योजना के अधीन प्रत्येक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक अवधि, तीसरी अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट होगी और पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख अर्थात् अपेक्षित अर्हता अवधि के पूरा होने के लिए वर्ष का 1 जनवरी होगा जिसमें मूल्यांकन किया जाना है।

(3) प्रोन्नति प्राप्त कोई अधिकारी अपने साथ पद वहन करता है और परिणामस्वरूप निम्न स्तर पर कोई रिक्ति नहीं हुई है और जहां अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या पदत्याग या मृत्यु द्वारा किसी अधिकारी के पद छोड़ने के कारण कोई रिक्ति हुई है, वहां उसे सीधी भर्ती या प्रोन्नति के लिए रोस्टर के अनुसार वैज्ञानिक 'बी' के स्तर पर भरा जायेगा।

(4) योजना के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए लोगों के लिए प्रभावी तारीख वह होगी जिस पर अनुशंसित बोर्ड द्वारा दिये गये संस्तुत को स्वीकृति प्राधिकारी अनुमोदित करता है या अनुमोदित अधिकारी द्वारा पद ग्रहण किया जाता है अथवा जो भी तारीख बाद की हो।

(5) (क) मूल्यांकन के दो स्तर होंगे, पहला स्तर छानबीन प्रयोजनों के लिए आंतरिक स्तर पर होगा और अगला स्तर चयन के लिए मूल्यांकन प्रयोजन के लिए होगा और छानबीन के उद्देश्य से वैज्ञानिक 'सी' के लिए बेंचमार्क कम से कम 'अच्छा' और वैज्ञानिक 'डी' और ऊपर के लिए कम से कम 'बहुत अच्छा' होगा।

(ख) पांचवें अनुसूची में सारणी 'ख' के स्तम्भ (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अनुसूची विनिर्दिष्ट सिफारिश किये गए सभी मामलों पर विचार करेगा। और उसे अनुमोदित करेगा और यदि यह विनिश्चय करता है कि कोई अधिकारी निर्धारण बोर्ड द्वारा प्रोन्नति के लिए विचार हेतु अर्हित नहीं है तो उसका मामला एक वर्ष पश्चात् इसके विचार के लिए छानबीन समिति के समक्ष रखा जायेगा और उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट छानबीन के लिए प्रक्रिया का पुनः अनुसरण किया जायेगा।

- (ग) बाह्य निर्धारण के दूसरे स्तर के प्रयोजनों के लिए: (i) स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए, सभी अधिकारी जिनकी छानबीन की गई है और छानबीन समिति द्वारा सिफारिश की गई है और अनुमोदन प्राधिकारी (छानबीन) द्वारा अनुमोदन किया गया है, पांचवीं अनुसूची में सारणी 'ख' के स्तम्भ (5) के मे विनिर्दिष्ट निर्धारण बोर्ड द्वारा उनका निर्धारण किया जायेगा।
- (ii) मूल्यांकन बोर्ड, प्रत्येक वैज्ञानिक के पालन और योग्यता पर विचार करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट रूप से एक पृष्ठ के सारांश के माध्यम से संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन विचार के लिए उनकी योग्यता को न्यायाचित ठहराते हुए किये गए कार्य की अंतर्वस्तु का दस्तावेज रखेगा और प्रमाणित करेगा कि इस प्रकार सिफारिश किये गए वैज्ञानिक संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन उन्नयन के लिए मानदंड को पूरा करते हैं।
- (iii) उन वैज्ञानिक के मामलों का पुनर्विलोकन जिनकी निर्धारण बोर्ड द्वारा यथास्थिति, सिफारिश की गई है एक वर्ष की अवधि के पश्चात् छानबीन समिति द्वारा पुनःविचार किया जायेगा।
- (iv) मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश को पांचवीं अनुसूची में सारणी 'ख' के स्तम्भ (6) के अधीन विनिर्दिष्ट अनुमोदन अधिकारी (मूल्यांकन) द्वारा विचार किया जायेगा।
- (6) संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के अंतर्गत आने वाले सभी वैज्ञानिक वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक कार्य प्रतिवेदन प्रारूप भाग 'क' को भरेंगे और प्रतिवेदन अधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।
- (7) सभी उत्कृष्ट ग्रेडिंग वाले असाधारण मेधावी उम्मीदवारों को अपेक्षित अर्हता अवधि में छूट दी जा सकती है अर्थात् निर्धारण अवधि, किसी एक अवसर पर एक वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जा सकती है और इस तरह की छूट उनके पूरी सेवाकाल में अधिकतम दो अवसरों के लिए सीमित होगी।
- (8) वे वैज्ञानिक जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उनकी प्रोन्नति की प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जिसको वो यथास्थिति प्रत्यावर्तित होते हैं और केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में कार्यभार संभालते हैं या प्रत्यावर्तन के बाद तैनात होते हैं, लेकिन प्रोफार्मा प्रोन्नति लागू नहीं होगी।
- (9) जो वैज्ञानिक अपेक्षित पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करता है, उसे इस आधार पर कि उसके कनिष्ठ पर विचार किया जा रहा है, संशोधित नमनीय पूरक योजना के अधीन पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- (10) एक पात्र वैज्ञानिक द्वारा ली गई छुट्टी को संशोधित नमनीय पूरक योजना के अधीन प्रोन्नति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित तरीके से न्यूनतम अर्हता अवधि में गिना जायेगा, अर्थात् :-
- (i) वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर व्यतीत की गई अवधि, जो एक वैज्ञानिक को विविध क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुभव या क्षेत्र अनुभव प्राप्त करने में मदद करती है।
 - (ii) अध्ययन छुट्टी या कोई अन्य अवकाश जो शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान में सुधार हेतु लिया गया हो।
 - (iii) मातृत्व अवकाश
 - (iv) मातृत्व अवकाश के साथ-साथ नियमानुसार स्वीकृत अधिकतम एक वर्ष की अवधि की छुट्टी को भी मातृत्व अवकाश के समतुल्य माना जा सकता है और इस अवधि को न्यूनतम अर्हक अवधि की गणना करते समय ध्यान में रखा जायेगा।
 - (v) नियमानुसार 180 दिन से अनधिक स्वीकृत अर्जित छुट्टी (3 साल न्यूनतम अर्हक अवधि के लिए) और 210 दिनों (4 साल न्यूनतम अर्हक अवधि के लिए) को न्यूनतम अर्हक अवधि की गणना करते समय ध्यान में रखा जायेगा।
- (क) बाल संरक्षण अवकाश
- (vi) गैर-वैज्ञानिक पदों पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा की अवधि सहित चिकित्सा के आधार पर छुट्टी, व्यक्तिगत कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी आदि की अवधि, न्यूनतम अर्हता अवधि के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- (11) शोधित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति में भूतलक्षी अनुदान के बारे में किसी भी स्थिति में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

- (12) अगले ग्रेड के लिए संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन मूल्यांकन केवल 3 बार होगा और उसके बाद, वैज्ञानिक संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एम.ए.सी.पी) योजना प्रावधान के अनुसार अन्तर्निहित किया जायेगा और जिन वैज्ञानिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के अधीन कोई भी ग्रेड प्रदान किया जा चुका है उन्हें संशोधित नमनीय पूरक स्कीम की पात्रता और अन्य प्रावधानों के अनुसार संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन अगले ग्रेड के लिए विचार किया जायेगा।
8. **समिति की संरचना** - (1) वैज्ञानिक 'बी' के पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) की संरचना इन नियमों से जुड़ी पांचवीं अनुसूची की सारणी 'क' में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।
- (2) मूल्यांकन समिति और उनके संबंधित अनुमोदन अधिकारियों के साथ छानबीन समिति की संरचना इन नियमों के अनुसार संलग्न पांचवीं अनुसूची की सारणी 'ख' में निर्दिष्ट की जायेगी।
9. **निरर्हता** - कोई व्यक्ति भी,-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
- (ख) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
10. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
11. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पहली अनुसूची

(उपरोक्त नियम 4 देखें)

(पदनाम, पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं विभिन्न पदों के वेतन मैट्रिक्स में स्तर)

पदनाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या		वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)		(4)
वैज्ञानिक 'बी'	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	श्रेणी		स्तर - 10
		प्राक्षेपिक	10	(रु. 56,100-1,77,500/-)
		जीव विज्ञान	13	
		रसायन शास्त्र	13	
		विस्फोटक	09	
		न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस	03	
		भौतिकी	13	
		विष विज्ञान	14	

		प्रलेख	42	
		फॉरेंसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग	03	
		फॉरेंसिक नारकोटिक्स प्रभाग	03	
		फॉरेंसिक मनोविज्ञान प्रभाग	03	
		फॉरेंसिक डी. एन.ए. प्रभाग	06	
सहायक निदेशक और वैज्ञानिक 'सी'	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	लागू नहीं है क्योंकि पद संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन संचालित है		स्तर - 11 (रु. 67,700- 2,08,700/-)
उपनिदेशक और वैज्ञानिक 'डी'	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	लागू नहीं है क्योंकि पद संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन संचालित है		स्तर - 12 (रु. 78,800- 2,09,200/-)
निदेशक और वैज्ञानिक 'ई'	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	लागू नहीं है क्योंकि पद संशोधित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन संचालित है		स्तर - 13 (रु. 1,23,100- 2,15,900/-)
कुल			132	

*पदों की संख्या कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन है।

दूसरी अनुसूची

(उपरोक्त नियम 5 देखें)

[वैज्ञानिक 'बी' के पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव]

(I) अनिवार्य:		
(I) शैक्षणिक अर्हता		
(1)	वैज्ञानिक 'बी' (प्राक्षेपिक)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से भौतिकी/गणित/अनुप्रयुक्त गणित/ न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री (जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान भौतिकी या गणित एक विषय के रूप में रहा हो।)
(2)	वैज्ञानिक 'बी' (जीव विज्ञान)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से वनस्पति विज्ञान/ प्राणि विज्ञान/सूक्ष्म जीवविज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी/ जैव रसायन शास्त्र/ भौतिकी मानव विज्ञान/ आनुवंशिक विज्ञान/ न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से जैव प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी स्नातक / प्रौद्योगिकी में स्नातक
(3)	वैज्ञानिक 'बी' (रसायन शास्त्र)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन शास्त्र/ जैव रसायन/ न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में रहा हो।
(4)	वैज्ञानिक 'बी' (विस्फोटक)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन शास्त्र/ न्यायालयिक

		विज्ञान में मास्टर डिग्री (जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में रहा हो।)
(5)	वैज्ञानिक 'बी' (न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन शास्त्र/ भौतिकी/ न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान रसायन शास्त्र या भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो।
(6)	वैज्ञानिक 'बी' (भौतिकी)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से भौतिकी/ अनुप्रयुक्त भौतिकी / जीवभौतिकी/ न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/यांत्रिक/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ दूरसंचार/ कंप्यूटर विज्ञान/ साधनविनियोग में इंजीनियरी स्नातक / प्रौद्योगिकी में स्नातक
(7)	वैज्ञानिक 'बी' (विष विज्ञान)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन शास्त्र/ जैव रसायन/औषध/ फार्मसी/ न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में रहा हो।
(8)	वैज्ञानिक 'बी' (प्रलेख)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन शास्त्र/ भौतिकी/ न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान रसायन शास्त्र या भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो।
(9)	वैज्ञानिक 'बी' (फॉरेंसिक इलेक्ट्रॉनिक्स)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी (सी एस ई)/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी (ईसीई)/सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (ईईई) में इंजीनियरी स्नातक / प्रौद्योगिकी में स्नातक अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स/न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो।
(10)	वैज्ञानिक 'बी' (नारकोटिक्स)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन शास्त्र/ जैव रसायन में मास्टर डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में रहा हो।
(11)	वैज्ञानिक 'बी' (फॉरेंसिक मनोविज्ञान)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मनोविज्ञान/ अपराध विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान या अपराध विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री।
(12)	वैज्ञानिक 'बी' (डी. एन.ए.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से जैव रसायन शास्त्र/ जैव प्रौद्योगिकी/ प्राणि विज्ञान/मानव आनुवंशिकी में मास्टर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान प्राणी विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो।

	<p>हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों के दौरान वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जैव प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी स्नातक / प्रौद्योगिकी में स्नातक</p>
--	--

(क) अनिवार्य अनुभव

सरकार के अधीन किसी मान्यता प्राप्त संगठन/संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में विश्लेषणात्मक पद्धति और अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछित

विनिर्दिष्ट द्वितीय अनुसूची के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 - शैक्षिक योग्यता और जिन क्षेत्रों में अनुसंधान अनुभव की आवश्यकता है, में प्रासंगिक अनुशासन वह प्रभाग होगा जिसके लिए भर्ती की जा रही है।

टिप्पण 2 - सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में दर्ज कर संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शैक्षणिक योग्यता में रियायत होगी।

टिप्पण 3 - अनुभव सम्बन्धी अर्हता कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाये संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि सम्भावना नहीं है।

आयु सीमा : 35 वर्ष से अधिक नहीं

(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए निदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल कि जा सकती है।)

टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी।

तीसरी अनुसूची

(नियम 7(2) देखें)

(न्यूनतम अर्हता अवधि का संबंध विभिन्न श्रेणियों में नमनीय पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति में किये गये प्रदर्शन से होगा।)

क्र. सं.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	न्यूनतम अर्हक अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	स्तर - 10 (रु. 56,100-1,77,500/-)	3 वर्ष
2.	सहायक निदेशक और वैज्ञानिक 'सी'	स्तर - 11 (रु. 67,700-2,08,700/-)	4 वर्ष
3.	उपनिदेशक और वैज्ञानिक 'डी'	स्तर - 12 (रु. 78,800-2,09,200/-)	4 वर्ष

4.	निदेशक और वैज्ञानिक 'ई'	स्तर - 13 (रु. 1,23,100-2,15,900/-)	--
----	-------------------------	-------------------------------------	----

चौथी अनुसूची

भाग - क

वैज्ञानिक 'बी' के पद के लिए भर्ती पद्धति	
(i) पद के लिए: वैज्ञानिक 'बी' (प्राक्षेपिक)/ वैज्ञानिक 'बी' (जीव विज्ञान)/ वैज्ञानिक 'बी' (रसायन शास्त्र)/ वैज्ञानिक 'बी' (विस्फोटक)/ वैज्ञानिक 'बी' (न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस)/ वैज्ञानिक 'बी' (भौतिकी)/ वैज्ञानिक 'बी' (विष विज्ञान)/ वैज्ञानिक 'बी' (प्रलेख)	90% सीधी भर्ती द्वारा 10 % प्रोन्नति द्वारा टिप्पण : भर्ती की पद्धति पृथक रूप से विधायक लागू होगी।
(ii) पद के लिए : वैज्ञानिक 'बी' (फॉरेंसिक इलेक्ट्रॉनिक्स)/ वैज्ञानिक 'बी' (फॉरेंसिक नारकोटिक्स)/ वैज्ञानिक 'बी' (फॉरेंसिक मनोविज्ञान)/ वैज्ञानिक 'बी' (फॉरेंसिक डी. एन.ए.)	सीधी भर्ती द्वारा

भाग - ख

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	
प्रोन्नति	
(i) पद के लिए: वैज्ञानिक 'बी' (प्राक्षेपिक)/ वैज्ञानिक 'बी' (जीव विज्ञान)/ वैज्ञानिक 'बी' (रसायन शास्त्र)/ वैज्ञानिक 'बी' (विस्फोटक)/ वैज्ञानिक 'बी' (न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस)/ वैज्ञानिक 'बी' (भौतिकी)/ वैज्ञानिक 'बी' (विष विज्ञान)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900 -1,42,400/-रु) में ऐसे कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है और विभाग द्वारा यथाविहित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।
(ii) वैज्ञानिक 'बी' (प्रलेख) पद के लिए:	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (रु.44,190-1,42,400/- रु) में ऐसे सहायक केन्द्रीय प्रज्ञा अधिकारी श्रेणी - 1 (प्रलेख) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है और विभाग द्वारा यथाविहित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।
टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेव पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके	

द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसे अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

पांचवी अनुसूची

(नियम 8 देखें)

(विभागीय प्रोन्नति समिति तथा विभागीय पुष्टि समिति की संरचना)

सारणी - क

क्र. सं.	पदनाम	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए)	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; 3. निदेशक या उप-सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य।	1. निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; 3. निदेशक या उप-सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य।

सारणी - ख

क्र. सं.	श्रेणी जिसके लिए प्रोन्नति की जाएगी	छानबीन समिति	अनुमोदन प्राधिकरण (छानबीन)	निर्धारण बोर्ड	अनुमोदन प्राधिकरण (निर्धारण बोर्ड)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वैज्ञानिक 'बी' से सहायक निदेशक और वैज्ञानिक 'सी'	1. संयुक्त सचिव - अध्यक्ष; 2. निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य;	गृह सचिव, गृह मंत्रालय	1. गृह सचिव - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य ;	प्रभारी मंत्री, गृह मंत्रालय
2.	सहायक निदेशक और वैज्ञानिक 'सी' से उप निदेशक और वैज्ञानिक 'डी'	3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो भारत सरकार के किसी भी संगठन का कोई		3. निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य;	
3.	उप निदेशक और वैज्ञानिक 'डी' से निदेशक और वैज्ञानिक 'ई'			4. न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के बाहर	

		प्रतिनिधि (जिसे गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा) - सदस्य		से न्यायालयिक विज्ञान के सुसंगत क्षेत्र से सम्बंधित तीन विशेषज्ञ- सदस्य	
--	--	--	--	---	--

अनुसूची
वार्षिक कार्यवृत्त (भाग 'क' 'ख' 'ग')
भाग - क

अधिकारी द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन

1.	नाम:	
2.	पदनाम:	
3.	विज्ञान और तकनीकी कार्यक्षेत्र:	
4.	विज्ञान और तकनीकी कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण:	
5.	कार्यक्षेत्र के निर्धारण और मापक के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पैदावन संकेतक; (जैसा कि अधिकारी के लिए उपयुक्त है)	
6.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्र के प्रमुख पैदावन की गणना	
7.	किये गये कार्य की नवपरिवर्तन अंतर्वस्तु (100 शब्दों में)	
8.	पिछले तीन वर्षों में वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कार्यों के लिए (यदि कोई हो) प्रमुख प्रभाव प्रतिवेदित	
9.	कार्य में उपयोग की गई वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यप्रणाली	
10.	नए या उभरते वैज्ञानिक सिद्धांत आधारित कार्यक्षेत्र के लिए सुझाव दें (यदि कोई हो)	
11.	कार्य योजना या कार्यक्षेत्र में अधिकारी द्वारा पेश की गई नई तकनीक	
12.	विशेष विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालें	
13.	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कार्यों में वैज्ञानिक और तकनीकी तत्वों का क का पृष्ठ सार	
14.	मात्रा निर्धारित विज्ञान और तकनीक पैदावन चयनित संकेतकों के अनुसार (जैसाकि उपबंधित)	

स्वयं मूल्यांकित अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग ख**रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन**

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य विवरण की परिशुद्धता
(क) साधारणतया परिशुद्ध
(ख) संशोधन आवश्यक (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
2. किए गए कार्य की वैज्ञानिक योग्यता
(1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%)
3. कार्य की नवपरिवर्तन अंतर्वस्तु का संक्षिप्त सार
4. वैज्ञानिक कार्य विवरण का सामान्य मूल्यांकन (संक्षेप में)
5. समग्र ग्रेडिंग
(1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%)

मूल्यांकन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग ग**आंतरिक छानबीन समिति की रिपोर्ट**

1. प्रतिवेदित विज्ञान और तकनीक कार्य सामग्री की ग्रेडिंग
2. विनिर्दिष्ट नवपरिवर्तन अंतर्वस्तु की मान्यता
3. क्षेत्र में समकक्षों के संबंध में प्रतिवेदित कार्य का सापेक्ष मूल्यांकन
(शीर्ष 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%)
4. अर्हक अवधि के दौरान किए गए कार्यों का आकलन
5. किए गए कार्य की विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्वस्तु की विनिर्दिष्ट विशेषताएँ
6. अर्हक अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य विवरण की समग्र ग्रेडिंग
(शीर्ष 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%)

नाम और हस्ताक्षर (समिति के सदस्य)

नाम और हस्ताक्षर आंतरिक मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष

वार्षिक कार्य विवरण का उपाबंध 'क'

1. विश्वविद्यालयों या सेमिनारों या उद्योग क्षेत्र में दिए गए व्याख्यान
(क) नामांकित
(ख) आमंत्रित
2. पुस्तक संपादित या लिखी गई
3. शोध प्रकाशन
4. विषय पर तैयार की गई अत्याधुनिक रिपोर्टों की स्थिति या अन्यथा
5. तैयार वार्षिक विवरण
6. संचालित आंतरिक रिपोर्ट

7. विद्यमान योजनाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र या अंतर की पहचान
8. नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहचान और पोषण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी निविष्टियां चल रही योजनाओं में जोड़ा जाना
9. परियोजनाओं के वैज्ञानिक संचालन के लिए तैयार डाटा बेस
10. देश भर में अनुसंधान और विकास अवसंरचना को बढ़ाने के लिए की गई वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित पहल
11. प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और अनुवर्ती के लिए नए क्षेत्रों की पहचान
12. विकसित और तैनात किए गए परियोजना निगरानी मापदंड
13. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए तैयार प्रौद्योगिकी बुद्धिमत्ता या मूल्यांकन रिपोर्ट
14. विभिन्न समितियों में अंतर मंत्रालयी चर्चा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आदान प्रदान
15. वर्ष के दौरान बंद करने के लिए वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकित की गई परियोजनाओं की संख्या
16. आरंभ किया गया नेटवर्क कार्यक्रम (कृपया अपने योगदान की संख्या और मुख्य विशेषताएं दें)
 - (क) प्रयोगशालाओं के मध्य
 - (ख) प्रयोगशाला और उद्योग
 - (ग) द्विपक्षीय
 - (घ) बहुपक्षीय
17. वर्ष के दौरान तैयार की गई नीतियां या विधेयक
18. संस्थानों / अकादमियों के पुरस्कार या सदस्यता
19. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

[फा. सं. डीएफएसएस/38(1)/2017]

ए. के. मित्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Directorate of Forensic Science Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2022

G.S.R. 213(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2013 in so far as they relate to the Posts of Director and Scientist 'E', Deputy Director and Scientist 'D', Assistant Director and Scientist 'C' and Scientist 'B', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the group 'A' posts relating to the posts of Director and Scientist 'E', Deputy Director and Scientist 'D', Assistant Director and Scientist 'C' and Scientist 'B' in Directorate of Forensic Science Services and its outlying units, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the First Schedule to these rules.

3. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Home Affairs;

(b) "Commission" means the Union Public Service Commission;

- (c) "Department" means the Directorate of Forensic Science Services;
- (d) "Post" means a post as specified in column (1) of the First Schedule;
- (e) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules.

4. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the First Schedule to these rules.

5. Educational qualifications, experience, method of recruitment.- (1) The qualifications, experience and age-limit for direct recruitment to the post of Scientist 'B' shall be as specified in the Second Schedule.

(2) (i) The method of recruitment for the post of Scientist 'B' shall be in the manner as specified in the Fourth Schedule to these rules.

(ii) The percentage of vacancies to be filled by promotion or by direct recruitment to the post of Scientist 'B' in various divisions of the Department shall be in accordance with the Part A of Fourth Schedule and grades from which promotion to the post of Scientist 'B' are to be made shall be in accordance with the Part B of Fourth Schedule.

(iii) The recruitment for the posts of scientists 'C', 'D' and 'E' shall be made 100% by in-situ promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme on completion of minimum residency period in the existing grade as specified in Column (4) of the Third Schedule.

(3) Consultation with the Commission is necessary for making recruitment to the post of Scientist B by promotion or by direct recruitment.

6. Probation.-(1) Every person appointed to the post of Scientist 'B' either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years.

(2) Direct recruits shall be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as specified by the approving authority, for completion of probation.

7. Promotion through the Modified Flexible Complementing Scheme .- (1) The Modified Flexible Complementing Scheme as notified by the Department of Personnel and Training from time to time shall apply in the matter of in-situ promotions for the scientists in the Department in the grades of Scientists 'C', 'D' and 'E', which shall be personal to the scientist concerned.

(2) The minimum residency period for considering the qualifying service required for promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme for each grade shall be as specified in the Column (4) of the Third Schedule and the crucial date for determining the eligibility as to the completion of the requisite qualifying residency period shall be the 1st January of the year in which assessment is to be done.

(3) An officer promoted carries the post with him and consequently no vacancy is caused at the lower level and where a vacancy is caused due to an officer vacating a post by retirement on superannuation or voluntary retirement or resignation or death, the same shall be filled in at the level of Scientist 'B' in accordance with the roster for direct recruitment or promotion;

(4) The date of in-situ promotion for those found suitable for considering his promotion under the scheme shall be the date on which the approving authority approves the recommendations of the Assessment Board as specified in the schedule or the date of assumption of charge of his or her post by the recommended candidate, whichever is later.

(5) (a) There shall be two levels of assessment, the first level shall be at internal level for screening purposes and the next level shall be for assessment purposes for selection, and for the purpose of screening, there shall be benchmark not less than 'Good' for Scientist 'C' and not less than 'Very Good' for Scientist 'D' and above.

(b) The approving authority (Screening), specified under Column (4) of Table B in the Fifth Schedule, shall consider every case recommended by the Screening Committee and approve the same and in case it decides that any officer does not qualify for consideration for promotion by the Assessment Board, his case shall be placed before the Screening Committee after one year for its consideration and the procedure for screening as specified in sub-rule (2) shall be followed again.

(c) For the purposes of second level of external assessment; - (i) for evaluating suitability of officers for in-situ promotion; the scientist who has been screened-in and recommended by the screening committee and approved by the approving authority (Screening) shall be assessed by the Assessment Board specified in Column (5) of Table B in the Fifth Schedule.

(ii) the Assessment Board shall, after taking into consideration the performance and merit of each scientist, document, specifically through one page summary, the specified content of the work done justifying his merit for consideration under the Modified Flexible Complementing Scheme and

certify that the officer so recommended meet with the criteria for in-situ up-gradation under the Modified Flexible Complementing Scheme;

- (iii) Review of case of the scientist who has been recommended status quo by the Assessment Board shall again be considered by the Screening committee after a period of one year.
 - (iv) The recommendations made by the Assessment Board shall be considered by the Approving Authority (Assessment) specified under column (6) of table B in the Fifth Schedule.
- (6) The scientist covering under the Modified Flexible Complementing Scheme shall fill up the annual work report format (Part-A) specified in the Sixth Schedule along with the Annual Performance Appraisal Report and shall get reported upon by the reporting officer.
- (7) The candidate with outstanding grading, may be considered for relaxation in the residency period, that is qualifying service, the relaxation being not more than one year on any single occasion and such a relaxation shall be limited to a maximum of two occasions in his entire career.
- (8) The officer who is away on deputation shall be given promotion with effect from the date he repatriates and joins Central Forensic Science Laboratories under Directorate of Forensic Science Services, where he is posted after repatriation as the case may be, but proforma promotion shall not apply.
- (9) The scientist who does not fulfill the requisite eligibility criteria shall not be considered for promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme on the ground that his junior is being considered.
- (10) The leave availed by an eligible scientist shall be counted towards minimum residency period for considering promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme in the following manner, namely:-
- (i) The period spent on deputation or Foreign Service to scientific post, which helps a Scientist to acquire scientific experience or field experience in a diverse set up.
 - (ii) Period of study leave or other leave availed for the academic accomplishments to improve scientific knowledge.
 - (iii) Maternity Leave.
 - (iv) Leave of a maximum period of one year sanctioned in continuation of maternity leave as per leave rules may also be treated at par with maternity leave and this period may consequently be taken into account while counting the minimum residency period.
 - (v) Earned Leave for a total period of not exceeding one hundred and eighty days (for three years residency period) and two hundred and ten days (for four year residency period) sanctioned as per Leave Rules shall also be taken into account while computing minimum residency period.
 - (v) (a) Child Care Leave.
 - (vi) The period spent on deputation or foreign service to a non-scientific post and the period of leave including leave on medical grounds, Extra Ordinary Leave availed on personal ground shall not be count towards the minimum residency period.
- (11) There shall be no consideration of retrospective grant of in-situ promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme in any case.
- (12) The assessment under the Modified Flexible Complementing Scheme for next higher grade shall only be three times and thereafter, the Scientist shall be covered under Modified Assured Career Progression Scheme in accordance with the provision of that scheme and the scientists who have been granted any grade under Modified Assured Career Progression Scheme may be considered for next grade under Modified Flexible Complementing Scheme according to the eligibility and other provisions of Modified Flexible Complementing Scheme.
- 8. Composition of the Committees-**(1) The Composition of the Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and the Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) for the posts of Scientist 'B' shall be as specified in Table A of Fifth Schedule annexed to these rules.
- (2) The composition of the Screening Committee and the Assessment Board along with their respective approving authorities shall be as specified in Table B of Fifth Schedule annexed to these rules.

9. Disqualifications.-No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE FIRST SCHEDULE

(See Rule 4 above)

(Designation, Number of Posts, Classification and Level in Pay Matrix of various posts)

Designation	Classification	Number of posts		Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)		(4)
Scientist 'B'	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Category		Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500/-)
		Ballistics	10	
		Biology	13	
		Chemistry	13	
		Explosives	09	
		Neutron Activation Analysis	03	
		Physics	13	
		Toxicology	14	
		Document	42	
		Forensic Electronics Division	03	
		Forensic Narcotics Division	03	
		Forensic Psychology Division	03	
		Forensic DNA Division	06	
Assistant Director and Scientist 'C'	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Not applicable as post is operated under Modified Flexible Complementing Scheme.		Level-11(Rs. 67,700-2,08,700/-)
Deputy Director and Scientist 'D'	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Not applicable as post is operated under Modified Flexible Complementing Scheme.		Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200/-)
Director and Scientist 'E'	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Not applicable as post is operated under Modified Flexible Complementing Scheme.		Level-13(Rs. 1,23,100-2,15,900/-)
Total		132		

*Number of posts is subject to variation dependent on workload.

THE SECOND SCHEDULE

(See Rule 5 above)

(Educational qualifications and Experience required for direct recruitment to the post of Scientist 'B'):

(I) Essential:		
(i) Educational qualifications:		
(1)	Scientist 'B' (Ballistics)	Master Degree in Physics or Mathematics or Applied Mathematics or Forensic Science with Physics or Mathematics as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science from a recognised University or institute;
(2)	Scientist 'B' (Biology)	Master degree in Botany or Zoology or Microbiology or Biotechnology or Biochemistry or Physical Anthropology or Genetics or Forensic Science with Botany or Zoology as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science from a recognised University or institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Biotechnology from recognised University or institute.
(3)	Scientist 'B' (Chemistry)	Master Degree in Chemistry or Biochemistry or Forensic Science with Chemistry as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science from a recognised University or institute;
(4)	Scientist 'B' (Explosive)	Master Degree in Chemistry or Forensic Science with Chemistry as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science from a recognised University or institute;
(5)	Scientist 'B' (Neutron Activation Analysis)	Master Degree in Chemistry or Physics or Forensic Science with Chemistry or Physics as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science from a recognised University or institute;
(6)	Scientist 'B' (Physics)	Master Degree in Physics or Applied Physics or Biophysics or Forensic Science with Physics as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science from a recognised University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in (Civil or Electrical or Mechanical or Electronics or Telecommunication or Computer Science or Instrumentation) from recognised University or institute.
(7)	Scientist 'B' (Toxicology)	Master Degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacology or Pharmacy or Forensic Science with Chemistry as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science from a recognised University or institute.
(8)	Scientist 'B' (Documents)	Master Degree in Chemistry or Physics or Forensic Science with Chemistry or Physics as one of the subjects during all the three years of Bachelor of Science from a recognised University or institute.
(9)	Scientist 'B' (Forensic Electronics)	Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering (CSE) or Electronics and Communication Engineering (ECE) or Information Technology or Electronics or Electrical and Electronics (EEE) from recognised University or Institute; or Master Degree in Computer Science or Electronics or Forensic Science with Physics as one of the subjects during all the three years of Bachelor of Science from recognised University or institute.
(10)	Scientist 'B' (Narcotics)	Master Degree in Chemistry or Biochemistry from recognised University or Institute; or Master Degree in Forensic Science with Chemistry as one of the subjects during all the three years of Bachelor of Science from recognised University or institute.
(11)	Scientist 'B' (Forensic Psychology)	Master Degree in Psychology or Criminology from recognised University or institute; or Master Degree in Forensic Science with specialisation in Psychology or

		Criminology from a recognised University or institute.
(12)	Scientist 'B' (Forensic DNA)	Master degree in Biochemistry or Biotechnology or Zoology or Human Genetics having Botany or Zoology as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science from a recognised University; or Master Degree in Forensic Science with Botany or Zoology as one of the subjects during all the three years of bachelor of Science from a recognised university or institute or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Biotechnology from recognised University or institute.
<p>(A) Essential experience: Three years experience of analytical methods and research therein in the relevant field from a government recognised organization or institution.</p> <p>(B) DESIRABLE :- One year experience of working in a Forensic Science Laboratory under the Central or State Government or Union territory administration after obtaining the minimum educational qualifications as specified in Second Schedule.</p> <p>Note 1: The relevant discipline in educational qualification and areas in which research experience is required shall be the division for which the recruitment is being made.</p> <p>Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 3: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion of that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisites experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Age-Limit: Not exceeding 35 years. (relaxable for government servant upto five years in accordance with the instructions issued by the Central Government).</p> <p>Note. The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.</p>		

THE THIRD SCHEDULE

[See Rule 7(2)]

(Minimum residency period linked to performance for in-situ promotion to various grades under Modified Flexible Complementing Scheme)

Sl. No.	Designation	Pay level in pay matrix	Minimum residency period.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scientist 'B'	Level-10 (Rs.56,100 - 1,77,500/-)	Three years
2.	Assistant Director & Scientist 'C'	Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700/-)	Four years
3.	Deputy Director & Scientist 'D'	Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200/-)	Four years
4.	Director & Scientist 'E'	Level-13 (Rs. 1,23,100- 2,15,900/-)	-----

THE FOURTH SCHEDULE

PART A

Method of recruitment for the post of Scientist 'B'	
(i) For the posts of: Scientist 'B' (Ballistics) or Scientist 'B' (Biology) or Scientist 'B' (Chemistry) or Scientist 'B' (Explosive) or Scientist 'B' (Neutron Activation Analysis) or Scientist 'B' (Physics) or Scientist 'B' (Toxicology) or Scientist 'B' (Documents)	<p>(i) 90% by direct recruitment; (ii) 10% by promotion.</p> <p>Note: Method of recruitment will be applicable discipline –wise separately.</p>

ii) For the posts of: Scientist 'B' (Forensic Electronics) or Scientist 'B' (Forensic Narcotics) or Scientist 'B' (Forensic Psychology) or Scientist 'B' (Forensic DNA)	Direct recruitment.
--	---------------------

PART B

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	
PROMOTION	
(i) for the posts of Scientist 'B' (Ballistics)/ Scientist 'B' (Biology)/ Scientist 'B' (Chemistry)/ Scientist 'B' (Explosive)/ Scientist 'B' (Neutron Activation Analysis)/ Scientist 'B' (Physics)/ Scientist 'B' (Toxicology).	Junior Scientific Officers in Level 7(Rs. 44,900 – 1,42,400/-) of the pay matrix with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed two to four weeks training as prescribed by the department.
(ii) for the posts of Scientist 'B' (Documents)	Assistant Central Intelligence Officer Grade-I (Documents) in Level 7 (Rs. 44,900 – 1,42,400/-) of the Pay Matrix with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed two to four weeks training as prescribed by the department.
Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed their qualifying or eligibility service.	

FIFTH SCHEDULE

(See Rule 8)

(Composition of Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee)

TABLE-A

Sl. No.	Name of the post.	Departmental Promotion Committee (for considering cases of promotion.)	Departmental Confirmation Committee (for considering cases of confirmation.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scientist 'B'	1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission- Chairman; 2. Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services- Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs- Member.	1. Director-cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services- Chairman; 2. Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services- Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs- Member.

TABLE B

Sl. No.	Grade to which promotion shall be made	Screening Committee	Approving Authority (Screening)	Assessment Board	Approving Authority (Assessment)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Scientist 'B' to Assistant Director and Scientist 'C'.	1. Joint Secretary – Chairman;	Home Secretary, Ministry of Home Affairs.	1. Home Secretary, - Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs –Member; 3. Director-Cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services-Member; 4. Three experts in the relevant field of forensic Science from outside Directorate of Forensic Science Services- Member.	Minister-in-charge, Ministry of Home Affairs.
2.	Assistant Director and Scientist 'C' to Deputy Director and Scientist 'D'.	2. Director-Cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services-Member;			
3.	Deputy Director and Scientist 'D' to Director and Scientist 'E'.	3. A representative from any organisation of government of India in the field of Science and Technology or Defense Research and Development Organisation or Department of Space or Department of Atomic Energy not below the rank of Joint Secretary (to be nominated by the Ministry of Home Affairs)– Member.			

THE SIXTH SCHEDULE

Annual Work Report(Part A,B,C)

PART A

SELF ASSESSMENT BY THE OFFICER REPORTED UPON

1. Name:
2. Designation:
3. Area of Science and Technology Function:
4. Brief Description of Science and Technology work function:
5. Science and Technology output indicators for assessment and measurement of work function (as appropriate to the officer):
6. Enumeration of major outputs from Science and Technology Function:
7. Innovation content of work done (in 100 words):
8. Major impact reported during the financial year (if any) for work done during previous three years:
9. Scientific and technological methodologies used in the work function:
10. Suggestions (if any) for work functions based on new or emerging scientific principles:
11. New technologies if any introduced by the officer in work plan or functions:
12. Any other highlight of special Science and Technology content in the work:
13. One-page summary of the scientific and technical elements in the work done during the financial year:
14. Quantified Science and Technology outputs as per the selected indicators (as annexed):

Signature of the officer reported upon

PART B**ASSESSMENT BY THE REPORTING AUTHORITY**

1. Accuracy of the Science and Technology work report
 - (a) Generally accurate
 - (b) Modifications needed (please specify)
2. Scientific merit of the work done
(1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, Bottom 25%)
3. Short summary of the innovative content of the work done
4. General assessment of the scientific work report (in brief)
5. Final grading
(1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, Bottom 25%)

Signature of the Reporting Officer

PART C**INTERNAL SCREENING COMMITTEE REPORT**

1. Grading of the Science and Technology content of work reported:
2. Specific Innovation elements recognized:
3. Relative Assessment of the work reported in relation to Peers in the area:
(Top 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, Bottom 25%)
4. Assessment of the work done during the residency period:
5. Specific highlights of the Science and Technology content of the work done:
6. Overall grading of the Science and Technology work report for the residency period:
(Top 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, Bottom 25%)

Name and Signatures of the (Members of the Committee)

Name and Signature of Chairman of Internal Screening Committee

Annexure 'A' to Annual Work Report

1. Lectures delivered in universities or seminars or industry meets
 - (a) Enrolled
 - (b) Invited
2. Books edited or written
3. Research publications
4. State-of-the Art Reports prepared on the subject handled or otherwise
5. Annual reports prepared
6. Internal reports generated

7. New Science and Technology area or gap identified for enlarging the scope of the existing schemes
8. New Science and Technology identified and nurtured and Science and Technology inputs added to ongoing schemes
9. Data bases prepared for scientific handling of the projects
10. Scientific and evidence-based initiatives taken to enlarge the infrastructure base of research and development across the country
11. Identification of new areas for demonstration of technologies and follow-up:
12. Project Monitoring Parameters evolved and deployed
13. Technology intelligence or assessment report prepared for Science and Technology
14. Science and Technology inputs provided to inter-Ministerial discussions in various committees
15. Number of projects scientifically evaluated for closure during the year
16. Networked programmes initiated (please give numbers and salient features of your contribution)
 - (a) Between lab to lab
 - (b) Lab and industry
 - (c) Bilateral
 - (d) Multilateral
17. Policies or Bills prepared during the year:
18. Awards or Membership of Institutions/ Academies
19. Others (please specify)

[F. No. DFSS/38(01)/2017]

A. K MITRA, Under Secy.